संख्या-241/2018/10/22-2-2018-17(41)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बच्चू सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी-वरका, थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 21/22-05-1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर रात 10:00 बजे ट्यूबवेल में आकर मुकेश पर पिस्टल से फायर कर दिया। मुकेश की मौके पर मृत्यु हो गयी व खजान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-462/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-4, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 16.07.2003 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 3412/2003 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.2003 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दयायाचिका पर रिहा, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कर सकने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के फार्म-ए पर रिहा होने पर समाज में विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध विशेष श्रेणी में आने, बन्दी भविष्य में दुबारा अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 21/22-05-1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर रात 10:00 बजे ट्यूबवेल में आकर मुकेश पर पिस्टल से फायर कर दिया मुकेश की मौके पर मृत्यु हो गयी व खजान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बच्चू सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बच्चू सिंह (बन्दी संख्या-10870) पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-241/2018/10(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-241/2018/10/22-2-2018-17(41)/2015
दिनांक 22 मार्च, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी बच्चू सिंह (बन्दी संख्या-10870) पुत्र श्री रामदयाल, निवासी निवासी-वरका, थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 21/22-05-1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर रात 10:00 बजे ट्यूबवेल में आकर मुकेश पर पिस्टल से फायर कर दिया मुकेश की मौके पर मृत्यु हो गयी व खजान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-462/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-4, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 16.07.2003 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 3412/2003 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.2003 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दयायाचिका पर रिहा, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कर सकने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के फार्म-ए पर रिहा होने पर समाज में विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध विशेष श्रेणी में आने बन्दी भविष्य में दुबारा अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 21/22-05-1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर रात 10:00 बजे ट्यूबवेल में आकर मुकेश पर पिस्टल से फायर कर दिया मुकेश की मौके पर मृत्यु हो गयी व खजान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बच्चू सिंह पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in